मध्यप्रदेश शासन
गृह विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
//आदेश//

भोपाल, दि. 19.02.2016

क्रमांक एफ 1–4/2016/ब–2/दो, राज्य शासन एतद् द्वारा आवंटन वर्ष 1991 के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को, जो तालिका के खाना क्रमांक 3 में दर्शित पद एवं स्थानों पर पदस्थ हैं, भारतीय पुलिस सेवा के अधिसमय वेतनमान से ऊपर के वेतनमान–पे बैंड–4: एच.ए.जी. 67000 रूपये (3 प्रतिशत की दर से वार्षिक वेतनवृद्धि) – 79000/– में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के पद पर पदोन्नत कर, अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक तालिका के खाना क्रमांक 4 में दर्शित पद व स्थान पर पदस्थ किया जाता है–

क.	अधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
1.	2.	3.	4.
01.	श्री वरूण कपूर, भापुसे (1991)	पुलिस महानिरीक्षक/निदेशक, पुलिस रेडियो ट्रेनिंग स्कूल, इन्दौर	अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, नारकोटिक्स, इन्दौर
02.	श्री उपेन्द्र कुमार जैन, भापुसे (1991)	पुलिस महानिरीक्षक/ संचालक, खेल एवं युवक कल्याण, भोपाल	अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक/ संचालक, खेल एवं युवक कल्याण, भोपाल
03.	श्री आलोक रंजन , भापुसे (1991)	पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन) पुलिस मुख्यालय, भोपाल	अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण, पुलिस मुख्यालय, भोपाल
04.	श्री के.बाबूराव, भापुसे (1991)	पुलिस महानिरीक्षक, शहडोल जोन, शहडोल	अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, आपदा प्रबंधन, होमगार्ड, म.प्र. भोपाल
05.	श्री व्ही.मधुकुमार, भापुसे (1991)	पुलिस महानिरीक्षक, उज्जैन जोन, उज्जैन	अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, उज्जैन जोन, उज्जैन
06.	श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, भापुसे (1991)	पुलिस महानिरीक्षक, विसबल, पुलिस मुख्यालय, भोपाल	अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, चयन एवं भर्ती, पुलिस मुख्यालय, भोपाल
07.	श्री आर.के.गुप्ता, भापुसे (1991)	पुलिस महानिरीक्षक, आरएपीटीसी, इन्दौर	अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, पीटीसी, इन्दौर

2. पैरा 01 में वर्णित अधिकारियों द्वारा अपनी नवीन पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से भापुसे (वेतन) नियम 2007 के नियम–11 के अंतर्गत तालिका के कालम 04 में दर्शित जो पद असंवर्गीय हैं, उन पदों को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों की अनुसूची ।।–क के अंतर्गत अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित किया जाता है।

निरंतर....2

3. उक्त पदोन्नत अधिकारी द्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन एफ क्र. 1/1/2008–आईसी, दि. 13.09.08 के पैरा 2 के स्पष्टीकरण 2 के अनुसार पदोन्नति पद पर वेतन निर्धारण हेतु पदोन्नति की दिनांक से एक माह के अन्दर विकल्प प्रस्तुत करना होगा। समयावधि समाप्त होने के पश्चात् विकल्प प्राप्त न होने पर उनका वेतन नियमानुसार निर्धारित कर दिया जावेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(कमला उपाध्याय)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग

पृ.क्रमांक एफ 1–4/2016/ब–2/दो **भोपाल, दि.19.02.2016**

प्रतिलिपि–

01. सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली ।
02. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
03. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, खेल एवं युवक कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
04. प्रमुख सचिव (समन्वय) मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल ।
05. विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, मान. मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
06. अपर मुख्य सचिव, गृह के स्टाफ आफिसर ।
07. विशेष सहायक, मान. मंत्री, गृह, मंत्रालय, भोपाल ।
08. पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
09. पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन) पुलिस मुख्यालय, भोपाल ।
10. संयुक्त संचालक, जनसम्पर्क, वल्लभ भवन, भोपाल ।
11. संबंधित अधिकारी द्वारा पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
12. गृह विभाग, कक्ष ब–2, लेखा ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(कमला उपाध्याय)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग